AS INTRODUCED IN LOK SABHA

09 DEC 2019

Bill No. 371 of 2019

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Constitution (One Hundred and Twenty-sixth Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on the 25th day of January, 2020.

Amendment of article 334.

2. In article 334 of the Constitution,—

(*a*) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Reservation of seats and special representation to cease after certain period";

(*b*) in the long line, after clauses (a) and (b), for the words "seventy years", the words "eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b)" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 334 of the Constitution lays down that the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the representation of the Anglo-Indian community by nomination in the House of the People and Legislative Assemblies of the States shall cease to have effect on the expiration of the period of 70 years from the commencement of the Constitution. In other words, these provisions will cease to have effect on the 25th January, 2020, if not extended further.

2. Although the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have made considerable progress in the last 70 years, the reasons which weighed with the Constituent Assembly in making provisions with regard to the aforesaid reservation of seats have not yet ceased to exist. Therefore, with a view to retaining the inclusive character as envisioned by the founding fathers of the Constitution, it is proposed to continue the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for another ten years i.e. up to 25th January, 2030.

3. The Bill seeks to achieve the above objects.

NEW DELHI;
The 4th December, 2019.

RAVI SHANKAR PRASAD.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE CONSTITUTION OF INDIA

* * * * *

Reservation of seats and special representation to cease after seventy years.

334. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

(*a*) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and

(*b*) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,

shall cease to have effect on the expiration of a period of seventy years from the commencement of this Constitution:

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

* * * * *

LOK SABHA

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

(Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice, Communications and Electronics and Information, Technology)

MGIPMRND—4121LS(S3)—05-12-2019.

2019 का विधेयक संख्यांक 371

[दि कांस्टीट्यूशन (वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह **अधिनियमित** हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत होगा ।

अनुच्छेद 334 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना";

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 334 यह अधिकथित करता है कि लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे । दूसरे शब्दों में, यदि इन उपबंधों का और विस्तार नहीं किया गया तो ये 25 जनवरी, 2020 को प्रभावी नहीं रहेंगे ।

2. यद्यपि, गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त प्रगति की है, वे कारण जिनसे स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण के संबंध में उपबंध करने के लिए संविधान सभा ने विचार किया था, अभी भी विद्यमान हैं । अतः, संविधान के निर्माताओं द्वारा यथा परिकल्पित समावेशी स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को अन्य दस वर्षों के लिए अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक जारी रखने का प्रस्ताव है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 दिसंबर, 2019

रवि शंकर प्रसाद

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

* * * * * *

स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहना ।

334. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,

इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से सत्तर वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

* * * * * *

MGIPMRND—4122LS(CRC)—05-12-2019.

(AS PASSED BY THE HOUSES OF PARLIAMENT—

LOK SABHA ON 10TH DECEMBER, 2019

RAJYA SABHA ON 12TH DECEMBER, 2019)

Bill No. 371-C of 2019

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-SIXTH AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on the 25th day of January, 2020.

Amendment of article 334.

2. In article 334 of the Constitution,—

(*a*) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Reservation of seats and special representation to cease after certain period";

(*b*) in the long line, after clauses (a) and (b), for the words "seventy years", the words "eighty years in respect of clause (a) and seventy years in respect of clause (b)" shall be substituted.

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

(AS PASSED BY THE HOUSES OF PARLIAMENT)

MGIPMRND—4270LS(S3)—10-12-2019.

(संसद के दोनो सदनों द्वारा पारित रूप में -

लोक सभा 10 दिसंबर, 2019

राज्य सभा 12 दिसंबर, 2019)

2019 का विधेयक संख्यांक 371-क

[दि कांस्टीट्यूशन (वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

5 (2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत होगा ।

अनुच्छेद 334 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना";

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

MGIPMRND—4271LS(CRC)—10-12-2019.